51

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1488-तीन/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-05-2000 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा प्रकरण क्रमांक-234/अ-6-अ/1988-89

.....

जगन्नाथ सिंह आ0 श्री अनुसुइया सिंह
निवासी-टिकुरी तहसील रामपुर बघेलान
जिला-सतना(म0प्र0) --------आवेदक

विरूद्ध

1- रामविश्वास सिंह आ0 श्री कोलई सिंह उर्फ नर्वदा सिंह
2- केदार सिंह आ0 श्री कोलई सिंह उर्फ नर्वदा सिंह
निवासीगण- टिकुरी तहसील रामपुर बघेलान
(जिला-सतना(म0प्र0) ------अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-05-2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम टिकुरी स्थित प्रद्गनाधीन भूमि आराजी नं0 91/1 रकबा 00.63 डि0 एवं आराजी नं0 310 रकबा 00.12 डि0 पर अनावेदकगण का खसरें कॉलम 12 में सन् 1985-86 में त्रुटिवश इन्द्राज हो गया था, जिसे दुरूस्त कराने हेतु आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार कोटर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 17/अ-6-अ/86-87 में दिनांक 16.06.87 को आवेदक के हित आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बघेलान के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण क्रमांक 46/86-87 पर दर्ज कर दिनांक 13.12.88 से नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.87 को न्यायसंगत न मानते हुये निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहॉ अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक-234/अ-6-अ/1988-89 पर पंजीबद्ध कर पारित आदेश दिनांक 27-05-2000 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा तथा अपील निरस्त की । अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जाता है।

4/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तकोर्ं के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम टिकुरी स्थित प्रद्गनाधीन भूमि आराजी नं0 91/1 रकबा 00.63 डि0 एवं आराजी नं0 310 रकबा

00.12 डि0 पर अनावेदकगण के पिता कोलई उर्फ नर्वदा सिंह का वर्ष 80-81 से 84-85 तक लगातार राजस्व अभिलेखों में कब्जा दर्ज के चला आ रहा है जिसके आधार पर हल्का पटवारी द्वारा वर्ष 85-86 में कब्जा प्रविष्टि की गई है और वर्ष 85-86 की प्रविष्टि को आवेदक द्वारा सुधार किये जाने हेतु नायब तहसीलदार कोटर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे नायब तहसीलदार ने विचार किये बिना ही आवेदक के हित में आदेश पारित कर दिया । जबकि नायब तहसीलदार को संहिता की धारा 115-116 के तहत बने नियमों के परिपालन में उचित कार्यवाही करते हुये हल्का पटवारी द्वारा की गई कब्जा प्रविष्टि की पुष्टि की जानी चाहिये थी। संहिता की धारा 115-116 के तहत स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संहिता की धारा 115-116 के तहत नवीन प्रविष्टि नहीं की जा सकती, किन्तु पूर्व में चले आ रहे प्रविष्टि के संबंध में अशुद्धि को दूर किया जा सकता है। नायब तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्ष 82-83 से 84-85 में अनावेदक का कब्जा दर्ज नहीं है, इसलिये वर्ष 85-86 में कब्जा दर्ज नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार ने आदेश पारित करने के पूर्व हल्का पटवारी के कथन भी नहीं लिये गये, जिससे की वादग्रस्त भूमि की वास्तविक स्थिति का पता चल सके, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा इन विधिक बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित किया है और इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने विचारोपरांत तहसील न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को अवैधानिक मानते हुये निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती और इसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में विस्तारपूर्वक विवेचना कर की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-05-2000 यथावत रखा जाता है।

(एस0एम0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,